न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

प्री इम्पशन अपील वाद सं0–04/2017
चेनबानु बीबी–बनाम–दिव्येन्दु विकास दास एवं अन्य

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्र के बारे टिप्पणी ता
01	02	03

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता चेनबानु बीबी, पति–मो0 ऐनुल हक, सा0–चाँदपुर, थाना–पाकुड़ (मु0) जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ के प्री इम्पशन वाद सं0–03/2016–17 में दिनांक–20.09.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। यह वाद आवेदक दिव्येन्दु विकास दास, पिता–स्व0 गोविन्द चरण दास द्वारा (1) श्रीमती चेनबानु बीबी, पति–ऐनुल हक एवं (2) सीताराम मंडल, पिता–दीपचाँद मंडल के विरूद्ध झारखण्ड लैन्ड सीलिंग एक्ट की धारा 16 (3) के अन्तर्गत निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसके अनुसार सीताराम मंडल मौजा–चाँदपुर नं0–161 अंचल, पाकुड़ के दाग सं0–25, 28, 141 एवं 142 कुल रकवा 7क0 9½ धूर को विरोधी पक्ष सं0–1. चेनबानु बीबी को रजिस्टर सेल डीड सं0–1487/16, दिनांक–21.09.2016 द्वारा उनको (आवेदक दिव्येन्दु विकास दास को) प्रथम क्रय अधिकार से वंचित करते हुए गलत ढंग से बिक्री करने का अरोप लगाया है। उनका कहना है कि चेनबानु बीबी प्रश्नगत जमीन का न तो हिस्सेदार है न ही आड़ी रैयत है। जबकि अपीलकर्त्ता प्रश्नगत जमीन का आड़ी रैयत है। उभय पक्ष न्यायालय में लगातार अनुपस्थित है।

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक–20.06.2018 को अपीलकर्त्ता चैनबानु बीबी एवं उत्तरवादी सं0–01 दिव्येन्दु विकास दास के द्वारा संयुक्त सुलहनामा आवेदन **(Joint Compromise Petition)** दाखिल किया गया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

(a) The respondents in whose favour learned D.C.L.R. Pakur has executed sale deed no.677 dated 6.3.2018 have agreed to return back the land in question mentioned in the sale deed in favour of appellant.

(b) The appelleant shall not object before the D.C.L.R. if respondants file petition for Withdrawal of the amount of sale deed deposited through chhalan no.37 dated 28.10.2016.

(c) The respondents or their heirs shall not be able to put any objection in future in the peaceful possession of land in question of appellant.

उक्त **Joint Compromise Petition** के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवलोकन करा दें।

लेखापित।

22.9.22
अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

22.9.22
अपर समाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by MANJU RANI SWANSI
Date: 2023.06.14 13:17:37 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:8d0:565a:3557:ab1f